

प्रेसनोट दिनांक 02.04.2021

1. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिशंकर राय थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिपिन चौहान पुत्र कृष्णा चौहान नि0 मुजाहिदपुर थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 216/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शंकर लाल थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हनुमान प्रसाद पुत्र ननकू प्रसाद नि0 चमरटोलिया इस्माइलगंज साहबगंज थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 217/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम बरन पुत्र मेहीलाल नि0 630 टकसाल चौक थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 147/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 01.04.21 को वादी श्री शुभम गुप्ता पुत्र कैलाश प्रसाद मोदनवाल नि0 स्वर्ग द्वार थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आशीष पाण्डेय पुत्र कौशल प्रसाद पाण्डेय नि0 स्वर्ग द्वार थाना को0अयोध्या अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी के दुकान पर उधारी सौदा मांगना, मना करने पर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 167/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नरसिंह उर्फ पप्पू पुत्र जगदम्बा नि0 गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 168/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय पाण्डेय पुत्र नरेन्द्र पाण्डेय नि0 कांशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 169/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम जनम यादव पुत्र राम किशोर नि0 कल्याण भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभि0 द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन कर गाड़ी से प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 119/21 धारा 188, 171जी भादवि व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री मान बहादुर सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंकित कुमार पुत्र बड़कऊ नि0 जैनपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 148/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री मान बहादुर सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या लक्ष्माण पुत्र तिलकराम नि0 जैनपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। द्वारा सूचना दिया गया कि को0बीकापुर जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 149/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 01.04.21 को वादी हे0का0 भूपेन्द्र सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पतिराम पुत्र तुलसीराम नि0 तोरोमाफी दराबगंज थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची

शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कोठीकापुर में मु0अ0सं0 150/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रणजीत यादव थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार यादव नि0 सतना थाना तारुन अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 79/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रणजीत यादव थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरविन्द वर्मा पुत्र त्रिवेणी प्रसाद नि0 सतना थाना तारुन अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 80/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि परशुराम पुत्र माता प्रसाद नि0 लोनिया चौराहा शाहगंज बाजार थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 141/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सीताराम पुत्र राजाराम नि0 मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 142/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिकेश कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि डा0 विनोद रावत हरिंगटनगंज द्वितीय जिला पंचायत प्रत्याशी वाहन चालक विकास विश्वकर्मा पुत्र त्रिभुवन विश्वकर्मा नि0 धरमगंज थाना इनायतनगर अयोध्या अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन कर प्रचार करना, प्रचार गाड़ी से 205 पम्पलेट बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 143/21 धारा 188, 171जी भादवि व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम करन पुत्र सियाराम नि0 जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 144/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयकरन पुत्र तिलकराम नि0 जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 145/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मिथिलेश यादव जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मसौधा आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करते हुए गाड़ी पर स्टीकर बैनर लगाकर डीजे बजाते हुए प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 146/21 धारा 188, 171जी भादवि व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि भोला फौजी हरिंगटनगंज द्वितीय जिला पंचायत प्रत्याशी आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करते हुए गाड़ी पर स्टीकर बैनर लगाकर डीजे बजाते हुए प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 147/21 धारा 188, 171जी भादवि व 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पासी पुत्र राम किशोर पासी नि0 सराय धनेठी थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 114/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
21. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सुफल पुत्र सरजू नि0 हरिपालपुर हरदोईया थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 115/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
22. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि माधव प्रसाद पुत्र मोटकऊ पासी नि0 बहबरमऊ थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 116/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
23. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुन्नू पुत्र राम दुलारे नि0 गहनाग थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 50/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
24. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम निवास पुत्र जगमोहन नि0 विनायकपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 52/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
25. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेम कुमार रावत पुत्र भवानी भीख नि0 सारंगापुर थाना रौनाही, अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 53/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
26. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मथुरा प्रसाद पुत्र. राम जनक नि0 हल्ले सारी थाना इनायतनगर, अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 54/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
27. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मातादीन पुत्र राम अधार नि0 भखौली थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 55/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
28. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार उपाध्याय थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. मो0 सुफियान पुत्र मो0 इबलाख नि0 चिरा खजुरी थाना टिकैतनगर बाराबंकी गिर0 2. मोनू पुत्र अभिलाख उर्फ बिल्ला नि0 भेलसर थाना को0रुदौली अयोध्या अभि0 मो0 सुफियान के कब्जे से 02 बण्डल गोमांश व 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 146/21 147/21 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
29. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार रावत पुत्र सुभाष चन्द्र रावत नि0 बिचाला थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 150/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
30. दिनांक 01.04.21 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रभूषण यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अशोक कुमार पुत्र चुन्नीलाल नि0 हरिहरपुर बलैया थाना को0रुदौली अयोध्या 2. सरजू प्रसाद पुत्र राम

चन्दर नि० राम शरन दासपुर थाना को०रुदौली अयोध्या दोनो गिर० अभि०गण के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 151/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 01.04.21 को वादी व०उ०नि० श्री रामचेत यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि माधव राम रावत पुत्र मीराराम नि० लखनी थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 76/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 01.04.21 को वादी उ०नि० श्री सुजीत कुमार मौर्या थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मैकूलाल रावत पुत्र रतिपाल नि० शाहपरी मजरे नरौली थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 77/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 01.04.21 को वादी उ०नि० श्री सुजीत कुमार मौर्या थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चेताराम रावत पुत्र रतिपाल नि० शाहपरी मजरे नरौली थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 78/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।